47

नि०/निग०/रीवा/2018/01394

न्यायालय श्रीमान् सदस्य पीठासीन अधिकारी महोदय राजस्व मंण्डल

ग्वालियर सार्किट कोर्ट रीवा {म0 प्र0}   30/-

अधिवक्ता श्री राजेश तिवारी द्वारा पेश 26.2.18

कलर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

1:- बाला प्रसाद तिवारी तनय श्री गौरी शंकर तिवारी उम्र 73 वर्ष पेशा खेती

2:- दशरथ प्रसाद तिवारी तनय रामअमोले तिवारी उम्र 75 वर्ष पेशा खेती

3:- सुशील कुमार तिवारी तनय रामदुलारे तिवारी उम्र 60 वर्ष

4:- मंगल प्रसाद तनय रामदुलारे उम्र 78 वर्ष पेशा खेती

5:- संन्तदास तनय शम्भू प्रसाद उम्र 30 वर्ष पेशा खेती

6:- भोला प्रसाद तनय शम्भू प्रसाद उम्र 45 वर्ष पेशा खेती

7:- श्रीराम तनय शम्भू प्रसाद उम्र 40 वर्ष पेशा खेती

सभी निवासी ग्राम खरहरी पो0हा0 लाईन बधरी तहसील सेमरिया जिला रीवा {म0 प्र0}   ---------- आवेदकगण

बनाम

राजेश तिवारी एड

1:- श्रीमती आभा तिवारी पत्नी सुरेशचन्द्र तिवारी निवासी ग्राम खरहरी तहसील सेमरिया जिला रीवा म. प्र.

2- जगदीश सिह तनय रामेश्वर सिह निवासी ग्राम खरहरी तहसील सेमरिया जिला रीवा {म0 प्र0}

26.2.18

3:- म0 प्र0 शासन   ---------- अनावेदकगण

सुशील ति०

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील सेमरिया जिला रीवा {म0 प्र0} रा. प्र. क्र. 043-5/17-18 आदेश दि0 08-1-18

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ
प्रकरण कमांक दो–निगरानी/रीवा/भू.रा./2018/1394

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/6/18	आवेदकगण के अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार किया गया। यह निगरानी तहसीलदार सेमरिया जिला रीवा के प्रकरण कमांक 4 अ–5/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 8–1–18 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है, जिसके व्दारा तहसीलदार ने ग्राम खरहरी की भूमि सर्वे कमांक 181/18 रकबा 0.600 हैक्टर कर नक्शा तरमीम किया है। 2/ नक्शा तरमीम कार्यवाही मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 70 के अंतर्गत राजस्व अधिकारी को दी गई शक्तियों के अधीन की जाती है एंव मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 70 के अंतर्गत पारित आदेश राजस्व मण्डल में निगरानी योग्य न होकर प्रथम अपील उप खण्ड अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) को होगी। म.प्र.राज्य बनाम जयरामपुर को–आपरेटिव्ह सोसायटी 1979 रा.नि. 465 तथा केशरवाई विरूद्व बल्दुआ 1993 रा.नि. 222 में बताया गया है कि मामला प्रथमतः उच्चतर प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत न करते हुये सवसे निचले न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिये। आवेदक के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके है कि ऐसी कौनसी विषम परिस्थितियां हैं अथवा विशिष्ट कारण हैं जिनके आधार पर निगरानी सीधे राजस्व मण्डल में सुनी	

जावे। आवेदकगण इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं। विचाराधीन निगरानी सीधे राजस्व मण्डल में सुनवाई योग्य न होने से गुणदोष पर विचार किये बिना इसी-स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य